कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 865 / 2019 / 10–11 / 4889 भोपाल, दिनांक 18-9-24

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 एक्सटेंशन गुलगंज–अमानगंज–पवई– कटनी मार्ग के चौड़ीकरण / निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक / FP/MP/ROAD/30762/2017)**

संदर्भः– भारत सरकार का पत्र क्रमांक / 6-MPC/026/2019-BHO/409 दिनांक 24.05.2019

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The FRA certiricate.	आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर छतरपुर के प्रमाण पत्र दिनांक 26.10.2022 ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है एवं हार्डकॉपी में संलग्न है।
2	Part of proposed area falls in Reserve Forest (Compartmerit No. 71, Bada Malehala, Chhatai.pur) which is not submitted in the proposal. This needs to be verified and Submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा कम्पार्टमेंट नम्बर 71 पोर्टल में सम्मिलित कर अपलोड कर दिया गया है।
3	As the user agency is MPRDC, the CA on non-forest land in accordance to para 2.59(f) of F(C) A, 1980 Handbook 2019 shall be submitted along with the map, KML file and ten years CA scheme.	आवेदक संस्थान द्वारा गैर वनभूमि 31.90 हेक्टेयर बड़े झाड़ के जंगल मद की कटनी जिले में उपलब्ध कराई गई है, जिसकी वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना हार्डकॉपी में एवं KML file सी0डी0 में संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

18.09.24

(एच.एस. मोहन्ता)

-2-

E:\Rakesh\02024\1GOI 23-05-2023 to 27-08-2024.docx

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 865 / 2019 / 10–11 / 4890 भोपाल, दिनांक 18-9-24

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश।

2– वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, छतरपुर, म0प्र0।

2– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18.09.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन वृत्त छतरपुर (मध्यप्रदेश)

पुराना बिजावर नाका, छतरपुर (म.प्र.) 471001
07682-242107 (O.), 242107 (Fax) E-mail: ccf.ctr@mp.gov.in

क्रमांक / तक. / 2024 / 987 छतरपुर, दिनांक / 09/09/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन,
भोपाल (म0प्र0)

विषय – छतरपुर जिले प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 एक्सटेंशन गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के चौड़ीकरण / निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म.प्र. सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ –
1. आपका पृष्ठा. पत्र क्र. / एफ–5 / 865 / 2019 / 10–11 / 4251 दिनांक 08.08.2024
2. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल छतरपुर का पत्र क्र0 / तक. / 2024 / 1121 दिनांक 28.08.2024

––0––

विषयान्तर्गत के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव में चाही गई 03 बिन्दुओं की जानकारी वनमण्डलााधिकारी छतरपुर के पत्रानुसार पूर्ति की गयी है।

संदर्भित पत्र क्र. 02 के द्वारा प्राप्त 03 बिन्दुओं की जानकारी सहित परिवेश पोर्टल पर वृत्त स्तर की आई.डी. में प्रदर्शित प्रस्ताव आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(संजीव झा)
वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त, छतरपुर

क्रमांक / तक. / 2024 / 988 छतरपुर, दिनांक / 09/09/2024

प्रतिलिपिः–
1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल छतरपुर की ओर संदर्भित के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम, सागर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक
छतरपुर वृत्त, छतरपुर

MP Forest Department

कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म. प्र.

जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎ 07682-245316 (O.), 245316 (Fax)
E-mail: dfotchtpur@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/2024/1121 छतरपुर, दिनांक 20-8-24

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
छतरपुर वृत्त छतरपुर

विषय :– छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 एक्सटेंशन गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0 प्र0 सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/865/2019/10–11/4250 दिनांक 08.08.2024

——00——

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल द्वारा छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 एक्सटेंशन गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में वांछित बिन्दुओं पर जानकारी तैयारकर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु लेख किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

1. वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण–पत्र अपलोड कर हॉर्डकॉपी संलग्न है।
2. वनमंडल छतरपुर द्वारा पूर्व में सम्प्रेषित प्रस्ताव अंतर्गत आवेदित व्यपवर्तन हेतु 30.426 हेक्टेयर क्षेत्र में से परिक्षेत्र बड़ामलहरा अंतर्गत आने वाले 2.030 हेक्टेयर वनभूमि, RF-71 से गुजरने वाले मार्ग का विवरण आवेदक संस्थान द्वारा फार्म–। में गुलगंज के नाम से लेख किया गया है। उक्त बिन्दु की जानकारी पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/813 दिनांक 01.06.2023 द्वारा सम्प्रेषित की जा चुकी है तथा उक्त बिन्दु की जानकारी पुनः संलग्न कर सम्प्रेषित है।
3. वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक/5223 दिनांक 06.08.2024 से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमंडल कटनी अंतर्गत ग्राम बड़वार तहसील बड़वार जिला कटनी अंतर्गत प्रदाय राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 133 रकवा 90.800 हेक्टेयर में से 31.900 हेक्टेयर बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीन की तकनीकी स्वीकृति जारी कर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

सचिव, म0 प्र0 शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/11/06/10–3/2105 दिनांक 03 जुलाई 2008 से समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकरण में यदि **"समतुल्य राजस्व भूमि अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः आपके द्वारा दोगुने छोटे–बड़े झाड़ का जंगल मद की राजस्व वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उपलब्ध करवाई जाएगी।"**

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल छतरपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तकनीकी/2024/1122 छतरपुर, दिनांक 20-8-24

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सम्प्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल छतरपुर

FORM -I
(For projects linear projects)

Government of M.P.
Office of the District Collector, Chhatarpur

FRA/Tribal/2022-23 No/5/23, Chhatarpur Date 26/10/22

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted For Non Forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that total area 30.426 hec. Hectares in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 Forest Land and in favour of MPPWD Sagar (MP) for a part of Gulganj-Amanganj-Pawai-Katni Road NH-43 Ext.Details are given below.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 30.426 in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 of forest land A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure --to-- Annexure.

(b) The diversion of forest land and Revenue forest for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Collector
District Chhatarpur
जिला छतरपुर (म. प्र.)

Encl: As above

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी (सा.)वनपरिक्षेत्र बड़ामलहरा

एन.एच. 86 छतरपुर सागर रोड बड़ामलहरा
E - mail Id - RObadamalehra7@gmail.com mo no. – 9424791094

कमांक / मा0चि0व / 2023 / 619 बडामलहरा, दिनांक 12/04/2023

प्रति

श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी महोदय
सा0 वनमण्डल छतरपुर (म0प्र0)

बिषयः– छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 43 एक्सटेंशन गुलगंज– अमानगंज पवई–कटनी मार्ग के चौडीकरण / निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0प्र0 सडक विकास निगम सागर को उपयोग पर देने बावत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र क. / मा.चि. / 2023 / 727 दिनांक 06.02.2023

––––00––––

महोदय्

विषयांकित में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र से छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 43 एक्सटेंशन गुलगंज– अमानगंज पवई–कटनी मार्ग के चौडीकरण / निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0प्र0 सडक विकास निगम सागर को उपयोग पर देने के संबंध में परिक्षेत्र सहायक गुलगंज से जांच कराई गई, बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. आवेदित क्षेत्र वनखण्ड गुलगंज अ के अंतर्गत आता है एवं मौके पर मिश्रित प्रजाति का आरक्षित वन है तथा 0.3 का घनत्व पाया गया।
2. मौका स्थल की प्रारम्भिक बिन्दु N 24° 40' 52.25" E 79° 21' 51.05" मध्य बिन्दु N 24° 40' 52.93" E 79° 21' 57.25" अंतिम बिन्दु N 24° 40' 54.05" E 79° 22' 02.42" जी.पी.एस. रीडिंग पाई गई।
3. मौके पर सतकठा एवं सागौन प्रजाति कुल 237 वृक्ष पाये गये।
4. मौके पर पहाड़ी क्षेत्र है।
5. क्षेत्र पर दुर्लभ प्रजाति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल एवं कोई धार्मिक स्थल नही है।
6. क्षेत्र पर किसी भी वन्यप्राणी का रहवास स्थल नही पाया गया।
7. पर्यावरण भू–संरक्षण पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा।
8. मौका स्थल से पन्ना टाइगर रिजर्व लगभग 80 कि.मी. दूरी पर है।
9. मौका स्थल पर कोई वनमार्ग रास्ता नही है।

प्रतिवेदन श्रीमान् की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र बडामलहरा

2175
17/04/23

मा0चि0

D-F-O-Chhatarpur
13/4/23